झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 4581 वर्ष 2019

मोहन साहू, उम्र 40 वर्ष, कोल्हा साहू का पुत्र, ग्राम–नापोकलां, डाकघर–गोसाईं बलिया, थाना'–बरकागांव, जिला–हजारीबाग ... . याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य, द्वारा प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, कार्यालय–परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगरनाथपुर, जिला–रांची
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, कार्यालय–परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगरनाथपुर, जिला–रांची
3. उपायुक्त, दुमका, डाकघर, थाना और जिला–दुमका
4. उपायुक्त, धनबाद, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद
5. जिला शिक्षा अधीक्षक, डुकमा, पहली मंजिल, जिला परिषद भवन, थाना–दुमका टाउन, डाकघर और जिला–दुमका में अपना कार्यालय रखते हैं
6. जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद, कार्यालय–संयुक्त भवन, भूतल, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद .... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ता के लिए: श्री अमृतंश वत्स, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिए: श्री गौरांग जाजोदिया, एस0सी0–I के ए0सी0

04 / 27.01.2021 श्री अमृतंश वत्स, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री गौरांग जाजोदिया, प्रतिवादी–राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

इस रिट याचिका को कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

याचिकाकर्ता ने जिला धनबाद और दुमका के लिए गैर–पैरा श्रेणी के तहत इंटर प्रशिक्षित शिक्षक (सहायक शिक्षक, कक्षा I से V) के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए उत्तरदाताओं को आदेश देने के लिए इस रिट याचिका को दायर किया है। आगे की प्रार्थना सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश देने के लिए है कि उन उम्मीदवारों पर विचार न करें जिन्होनें अपना इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम नियमित छात्र के रूप में किया है।

श्री अमृतंश वत्स, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने दो जिलों यानी धनबाद और दुमका के लिए गैर–पैरा श्रेणी के तहत विज्ञापन संख्या 10 / 2015 और विज्ञापन संख्या 01 और 06 वर्ष 2015 के लिए आवेदन किया है। वह आगे कहता है कि पूर्वोक्त विज्ञापनों के अनुसार, याचिकाकर्ता पात्र है और सभी अपेक्षित योग्यता होने के कारण सहायक शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया है। संबंधित प्राधिकारी ने किसी भी जिला से नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया है, यद्यपि, याचिकाकर्ता का नाम दोनों

जिलों की मेरिट सूची में उल्लेख किया गया था। वह आगे कहता है कि उम्मीदवार, जो पैरा शिक्षक भी थे, लेकिन सहायक शिक्षक के पद के लिए गैर–पैरा श्रेणी के तहत आवेदन किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा समाप्ति के आदेश को पारित करके सेवा से बाहर कर दिया गया था। वह आगे कहता है कि याचिकाकर्ता का मामला एल0पी0ए0 सं0 175/2017, 186/2017 और 199/2017 में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले के मद्देनजर पूरी तरह से आच्छादित है।

श्री गौरांग जाजोदिया, प्रतिवादी–राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका का पुरजोर विरोध किया और कहा कि जहाँ तक उपरोक्त एल0पी0ए0 का संबंध है यह उन व्यक्तियों के संबंध में है जो उन एल0पी0ए0 में पार्टी थे और यह एक अवसर के लिये था। याचिकाकर्ता के लिए इस न्यायालय के समक्ष आना और ऐसा आदेश प्राप्त करने हेतु नहीं है। राज्य को इस तरह के मामले पर विचार करने में कठिनाई हो रही है।

इस स्तर पर, श्री अमृतंश वत्स ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उन मामलों के याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए इस न्यायालय द्वारा समान मामलों का निपटारा किया गया है। वह यह भी निवेदन करते हैं कि रिट याचिका के पैराग्राफ 20 में, याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पहले से ही हैं।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर और पक्षकारों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता को जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद के समक्ष एल0पी0ए0 संख्या 175/2017, 186/2017 और 199/2017 में पारित आदेश के साथ

एक नया अभ्यावेदन दाखिल करने के माध्यम से आज से तीन सप्ताह के अन्दर संपर्क करने का निर्देश दिया जाता है। यदि इस तरह का अभ्यावेदन पूर्वोक्त अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद और दुमका इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा एल0पी0ए0 संख्या 175/2017, 186/2017 और 199/2017 में पारित आदेश के आलोक में याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करेंगे और वह यह भी जांच करेगा कि उपरोक्त एल0पी0ए0 में पारित आदेश वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू है या नहीं। जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद इस तरह के अभ्यावेदन की प्राप्ति के आठ सप्ताह की अवधि के भीतर तर्कपूर्ण आदेश पारित करेंगे।

उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, इस रिट याचिका को निष्पादित किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)